भारतीय संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का अवधारणात्मक निरुपणः एक समीक्षा

डॉ कृष्ण कुमार

भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान रही है। वैदिक काल में ग्राम ही राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के केंद्र बिंदु थे। मौर्य साम्राज्य एवं दक्षिण भारत में चोल शासकों से लेकर गुप्तकाल तक में ग्राम पंचायतों का अपना महत्व रहा। प्राचीन भारत मे बाद मध्य कालीन सल्तनत एवं मुगलशासन इकाइयों का पुरातन स्वरुप अक्षुण्ण बना रहा। हालांकि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अपनी शासन व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने एवं ब्रिटिश आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु ग्रामीण स्वशासन के स्थान पर अधिकारीतंत्र को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक महात्मा गाँधी स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एवं अहिंसा पर आधारित ग्राम स्वराज और स्वशासन की व्यवस्था चाहते थे। वे ऐसी व्यवस्था चाहते है जिससे गाँवों का वास्तविक स्वरुप प्रभावित न हो। उनके ग्राम स्वराज के आधारभूत सिद्धांतो में व्यक्ति की श्रेष्ठता की स्थापना, मानव शक्ति की पूर्ण एवं श्रेष्ठ उपयोगिता, समानता, न्यासिता, स्वदेशी, आत्मपूर्णता, सहयोग और सत्याग्रह शामिल थे। महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज का उद्देश्य भारत के प्रत्येक गाँव का आत्मपूर्ण एवं आत्मनिर्भर स्वशासी निकाय के रुप में विकसित करना था ताकि मनुष्य के सरल जीवन की क्रांतिकारी पद्धति विकसित हो सके।